

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.
जेठी बनाम दुलाराम आदि

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मुकदमा न.- 13/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीनी मिनजानिब मुद्ई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 139 तादादी 4.0595 हेक्टेयर (वर्तमान ख.सं. 388/139 तादादी 0.4142 हे., ख. सं. 389/139 तादादी 3.6453 हे.) तथा खसरा संख्या 166 तादादी 4.2492 हेक्टेयर (वर्तमान ख.सं. 391/166 तादादी 1.2014 हे., ख.सं. 405/390 तादादी 1.8337 हे., ख.सं. 406/390 तादादी 0.3068 हे., ख.सं. 407/390 तादादी 0.9073 हे.) वाके रोही नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु में वादीनी को 1/7 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित की जाती है। वादगत भूमि के प्रत्येक वर्तमान खसरे में वादीनी का नाम 1/7 हिस्सा भूमि में संयुक्त रूप से दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। राजस्व रेकार्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वयं वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलमाबी तक को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2.9.2021

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा

मुहर	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
मुद्ई			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प अर्जीदिवा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील पर		
स्टाम्प वजह सूची			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमि नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमि नर			मुतफरिक		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर